कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

210

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 /

दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, जयनगर
जिला– मधुबनी

महाशय,

नगर पंचायत, जयनगर के वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 285 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / ~~285~~ 4610/285

दिनांक– 21/11/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मधुबनी

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

प्रारूप निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 285/16–17

भाग – I

प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :– नगर पंचायत, जयनगर
2. लेखा की अवधि :– 2013–2014 से 2015–16 तक
3. लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र :– अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किए गए पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :– 18.04.16 से 26.04.16 तक
5. प्रशासन :–

1) मुख्य पार्षद का नाम **अवधि**

श्रीमती राधा देवी 01.04.13 से 31.03.16 तक

2) उप मुख्य पार्षद का नाम **अवधि**

श्री अशोक पासवान 01.04.13 से 31.03.16 तक

3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी

क्रम संख्या	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि	
		कब से	कब तक
1	अरूण कुमार सिंह	01.04.13	14.04.13
2	रोहित कुमार	15.04.13	14.10.13
3	अजय कुमार	15.10.13	30.06.14
4	रोहित कुमार	08.08.14	21.08.15
5	सुधीर कुमार	21.08.15	10.11.15
6	संजय कुमार	10.11.15	28.03.16
7	डॉ इन्द्र कुमार मंडल	28.03.16	वर्तमान तक

6 लेखापरीक्षा दल के सदस्य

1. **श्री तनवीर हसन, व0 ले0 प0 अधिकारी**
2. **श्री सुबोध प्रसाद, स0 ले0 प0 अधिकारी**
3. **श्री आलोक कुमार, स0 ले0 प0 अधिकारी**
4. **श्री मनीष कुमार, ले0 परीक्षक**

7 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालनः– अप्रस्तुत

8. कार्यपालक से वार्तालाप की गई :– हॉ

9. **लेखापरीक्षा का परिणामः–**

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि :– 285765.00 रू

वसूली हेतु सुझाई गई राशि :– 4685064.00 रू

आपत्ति के अधीन रखी गई राशिः– 5418500.00 रू

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III पर)

10 बजटः–वार्षिक लेखा एवं वितीय विवरण तैयार नहीं किया गया था जिसके कारण बजट का वास्तविक आय व व्यय से तुलना नहीं किया जा सका।

11. अनुदान

नगर पंचायत, जयनगर द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप लेखापरीक्षा अवधि के प्रारंभ में अव्यवहृत अनुदानों की राशि, अनुदान की प्राप्ति, उपयोग तथा लेखापरीक्षा अवधि के अंत में अव्यवहृत अनुदान की राशि की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। यद्यपि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लेखापाल रोकड़बही के अनुसार विभिन्न मदों के अंतर्गत 81344788.00 रू प्राप्त हुआ था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IV पर)

अतः अनुदान पंजी का संधारण कराया जाय एवं अवयवहृत अनुदान का यथाशीघ्र उपयोग किया जाय।

12. वितीय अधिदृश्यः–

लेखापाल रोकड़बही का आय व्यय

लेखापाल रोकड़ बही में प्राप्ति व व्यय पक्ष में दर्ज प्रविष्टियों को गणना करने के उपरांत अनुसार वित्तीय वर्षों 2013–14 से 2015–16 की अवधि में आय व व्यय निम्न थाः–

क्र0	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16
1.	आरंभिक शेष	29927632.88	48617363.88	60555665.88
2.	वर्ष की प्राप्ति	32972491.00	27540561.00	32557700.00
3.	कुल प्राप्ति	62900123.88	76157924.88	93113365.88
4.	कुल व्यय	14282760.00	15602259.00	10644347.00
5.	अन्तशेष	48617363.88	60555665.88	82469018.88

लेखापरीक्षा टिप्पणियॉः–

1. लेखा परीक्षा में गणना के उपरांत दिनांक 31.03.16 को वास्तविक अंतशेष राशि 82469018.88 रू था, परंतु रोकड़ बही में दर्ज अंतशेष की राशि 84853746.21 रू था।

2. एक ही रोकड़बही में कई मदों यथा योजनाएँ, स्वयं स्रोत, अन्य मद आदि से प्राप्त आय का लेखांकन किया गया था, तथा विभिन्न योजनाओं/गैर योजनाओं मद में व्यय किया गया था।

3. सहायक रोकड़बही संधारित नहीं किया गया था।

4. रोकड़बही के व्यय पक्ष में व्यय का शीर्ष दर्ज नहीं किया गया था।

5. वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं व्यय का सार तैयार नहीं किया गया था।

6. रोकड़बही में अधिकांश व्यय के बारे में यह स्पष्ट करना मुश्किल था कि किस मद में कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी राशि अव्यवहृत पड़ी थी तथा प्राप्त राशि जिस मद एवं जिस उद्देश्य के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी उस उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं ।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही का संधारण किया जाय तथा अंतशेष की राशि को सुधार किया जाय।

बी.आर.जी.एफ संव्यवहार

क्र0	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16
1.	आरंभिक शेष	1458381	2506182.66	2055146.66
2	अनुदान	1081444	1018884	0
	ब्याज	67022	93945	0
3.	वर्ष की प्राप्ति	1148466	1112829	0
4.	कुल प्राप्ति	2606847	3619011.66	2055146.66
4.	व्यय (योजना)	100664.34	1563865	232389
6.	अन्तशेष	2506182.66	2055146.66	1822757.66

लेखा परीक्षा टिप्पणियॉः–

रोकड़ बही दिनांक 31.10.15 तक ही संधारित था तथा बैंक पासबुक में दिनांक 25.12.15 को अंतशेष राशि 1970252.66 रू था।

रोकड़ बही व बैंक पासबुक का अद्यतन संधारण/प्रविष्टि कराकर एवं बैंक समाधान विवरणी तैयार कराकर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कराया जाय।

भाग–II(क)

कण्डिकाः–1 एम/एच रसीद से वसूली गयी राशि जमा नहीं, राशि ₹ 6.82 लाख

नगर पंचायत,जयनगर में उपलब्ध कराये गये होल्डिंग टैक्स रसीद तथा विविध टैक्स रसीद के जॉच में पाया गया कि कर संग्राहको व सहायकों द्वारा रसीद के माध्यम से वसूल की गई राशि कुल 967295.00 रू को नगर पंचायत कोष में जमा नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान एवं अंकेक्षण आपति के आलोक में कुल 285765.00 रू नगर पंचायत कोष में जमा किया गया तथा राशि 681530.00 रू (967295–285765) जमा नहीं किया गया।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–V पर)

कार्यालय का जवाबः– नहीं जमा की गई राशि की वसूली कर नगर पंचायत कोष में जमा करवा दिया जायेगा।

कर की राशि को ससमय जमा नहीं करना एक बड़ी वितीय अनियमितता है। अतः कर की राशि 681530.00 को अविलंब नगर कोष में जमा कराया जाय एवं इसे लेखापरीक्षा कार्यालय को अविलंब सूचित किया जाय।

206

भाग–II (ख)

कण्डिकाः–2 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण में व्यय, राशि 11.172 लाख रू

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012–13 मे नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक –02/स्वर्ण–06/08–1113 दिनांक 31.10.12 द्वारा नगर पंचायत जयनगर को 30 लाख रू की राशि प्राप्त हुई थी। योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार राशि का व्यय निम्न घटकों में करना थाः–

क्रम सं0	मद का नाम	प्रतिशत	राशि
01	शहरी गरीबो के बीच रोजगार बढाने के लिए कौषल प्रषिक्षण(STEPUP)	40 प्रतिशत	1200000.00
02.	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP)	20 प्रतिशत	600000.00
03.	शहरी महिलाओं एवं सहायता कार्यक्रम (UWSP)	20 प्रतिशत	600000.00
04.	शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN)	10 प्रतिशत	300000.00
05	(UWEP)	10 प्रतिशत	300000.00
		कुल	3000000.00

नगर पंचायत द्वारा शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (STEPUP) घटक में बी0 पी0 एल0 के युवक/युवतियों को प्रशिक्षण के लिए राशि 11.172 लाख रू का भुगतान संस्थाओं को किया गया तथा अन्य चार घटकों में योजना कियान्वित नहीं की गई एवं राशि 18.828 लाख रू अनुपयोगित पड़ी हुई है।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना (पत्रांक– 927 दिनांक–06.09.12) द्वारा नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया कि कि STEPUP के तहत प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व तथा संस्थाओं के एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने के पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं पर संस्थाओ की जॉच कर ले क्योंकि समयाभाव के कारण संस्थाओं के संबंध में कोई जॉच नहीं किया गया हैः–

1. संस्था को प्रशिक्षण देने का अनुभव हो।
2. प्रशिक्षक को संबंधित व्यवसाय का 3 वर्ष का अनुभव।
3. संस्था को पर्याप्त क्लासरूम, प्रयोगशाला या अन्य आधारभूत सुविधा की उपलब्धता।
4. संस्थाओं को प्रशिक्षण के उपरांत लाभार्थियों को एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
5. प्रशिक्षण स्थल पर कम से कम 1500 वर्ग फीट का स्थान, प्रतिदिन प्रशिक्षण की अवधि 4 घंटा, कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कम से कम 10 सेट कम्प्यूटर।
6. संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता।
7. जो प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार के लिए इच्छुक है, उनके आवेदन को संस्था द्वारा बैंक में निकाय के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही विभाग द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि प्रशिक्षण समाप्त होने पर पूर्णतः जॉच कर एवं पूर्णतः संतुष्ट होकर अनुमोदित दर के आधार पर ही नगरपालिका द्वारा संबंधित संस्था को राशि का भुगतान किया जाय।

आवेदन की प्राप्ति हेतु एवं आवेदक के बी0 पी0 एल0 परिवार में रहने का जॉच करने हेतु कार्यालय द्वारा कमशः श्री विमल कुमार चौधरी, उ0 प्र0 लि0 एवं श्री राजवीर प्रसाद, कर दरोगा को प्राधिकृत किया गया। श्री राजवीर प्रसाद, कर दरोगा को प्रशिक्षण कार्यक्रम के नियमित पर्यवेक्षण हेतु प्राधिकृत किया गया। संचिका के जॉच में पाया गया कि पॉच संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण देने हेतु कार्यालय को आवेदन दिया गया, जिसमें से दो संस्थाओं का चयन किया गया। कार्यालय द्वारा दिनांक 25.10.12 को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेड में प्रशिक्षण देने हेतु दुर्गा महिला शिशु कल्याण संस्थान एवं फैशन डिजाइनिंग–सिलाई, मिथिला पेंटिंग तथा ब्यूटिफिकेशन के लिए तिरहुत समग्र विकास परिषद से एकरारनामा किया गया। इन संस्थाओं द्वारा दिनांक 01.11.12 से प्रशिक्षण आरंभ किया गया। संस्थाओं का प्रशिक्षण स्थल निम्न थाः–

संस्था का नाम	प्रशिक्षण स्थल
तिरहुत समग्र विकास परिषद, सैदपुर, समस्तीपुर	दुर्गा देवी, खरगा रोड, वार्ड नं–2, जयनगर एवं भगवती स्थान के निकट श्रीमती राधा देवी के मकान में, वार्ड न0–14 जयनगर
दुर्गा महिला शिशु कल्याण संस्थान, राजीव नगर, पटना	वार्ड न0.6, विधा नगर कमला रोड, जगदीश यादव के मकान में।

विभाग द्वारा नगर पंचायत–जयनगर को कुल 200 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य दिया गया था। कार्यालय को प्रशिक्षण हेतु कुल 326 आवेदन प्राप्त हुआ, जिनमें से 283 व्यक्तियों को संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिया गया तथा नगर पंचायत के जॉच के अुनसार कुल 280 व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण लिये जाने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया व भुगतान किया गया। विवरण निम्न हैः–

प्रशिक्षण देने वाले संस्था का नाम	ट्रेड का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	संस्था के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कार्यालय द्वारा जॉचोपरांत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	संस्था को भुगतान
दुर्गा महिला शिशु कल्याण संस्थान	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	61 (36+25)	61	59	236000
तिरहुत समग्र विकास परिषद	सिलाई (फैशन डिजाइनिंग)	218 (32+186)	215	211	881200
	मिथिला पेंटिंग (फैशन डिजाइनिंग)	3		3	
	ब्यूटिफिकेशन	7 (5+2)	7	7	
	प्लंबरिंग	3	0	0	
	होम केयर नर्सिंग	21	0	0	
	लैब टेक्नीशियन	12	0	0	
	स्पोकेन इंग्लिश	1	0	0	
	अन्य ट्रेड	0	0	0	
	कुल	326	283	280	

संस्था को भुगतान का विवरणः–

रोकड़ बही की तिथि	चेक संख्या	राशि	कुल	प्रशिक्षण की अवधि	संस्था का नाम
29.02.13	233381	440600	881200	नवंबर व दिसंबर 2012	तिरहुत समग्र विकास परिषद
28.02.13	233383	220300		जनवरी 2012	
11.03.13	000061	220300		फरवरी 2012	
11.03.13	000063	118000	236000	नवंबर व दिसंबर 2012	दुर्गा महिला शिशु कल्याण संस्थान
11.03.13	000064	59000		जनवरी 2012	
11.03.13	000062	59000		फरवरी 2012	

भुगतान का आधारः– बोर्ड के प्रस्ताव संख्या– 6 दिनांक 06.11.12 के तहत संस्थाओं को भुगतान हेतु निम्न दर तय किया गया, विस्तृत विवरण निम्न हैः–

ट्रेड का नाम	छः माह के लिए प्रति प्रशिक्षाणार्थी का निर्धारित व्यय	बोर्ड के प्रस्ताव संख्या– 6 दिनांक 06.11.12 में तय दर	प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह दर	प्रशिक्षण की अवधि	कुल प्रशिक्षाणार्थियों की संख्या	भुगतान
फैशन डिजाइनिंग	6000 से 7000	6800	1000.00रू प्रतिमाह	चार माह	214	856000
ब्यूटिफिकेशन	5000 से 6000	5800	900.00 रू प्रतिमाह	चार माह	7	25200
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	6000 से 7000	6800	1000.00रू प्रतिमाह	चार माह	59	236000
				कुल	280	1117200

लेखा परीक्षा आपत्तियॉः–

1. संस्थाओं द्वारा दिया गया आवेदन सील बंद लिफाफा में नहीं था। पुनः आवेदन के समर्थन में कोई आवश्यक दस्तावेज नहीं दिया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि ये संस्थाएँ नगर विकास एवं आवस विभाग के उपर्युक्त शर्तो को पूरा करता हो।
2. पॉच संस्थाओं में से दो संस्थाओं को चयन किये जाने का कोई तुलनात्मक विवरणी नहीं बनाया गया।
3. विभाग द्वारा तय लक्ष्य के अनुसार STEP-UP घटक के तहत कुल 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना था, परंतु इसका उल्लंघन कर संस्थाओं से कुल 280 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलाया गया अर्थात 80 अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलाया गया।

4. अन्य चार घटकों शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP), शहरी महिलाओ एवं सहायता कार्यक्रम (UWSP), शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN), एवं शहरी महिला रोजगार कार्यक्रम (UWEP) कियान्वित नहीं की गई एवं राशि 18.00 लाख रू को अवरोधित रखा गया।
5. सरकार के दिशा निर्देशानुसार सक्षम युवक/युवतियों के द्वारा प्राप्त आवेदन को कार्यालय द्वारा व्यवसायवार पंजी संधारित करना था, परन्तु कार्यालय द्वारा आवेदन प्राप्ति से संबंधित कोई भी पंजी संधारित नहीं किया गया।
6. संस्थान के प्रशिक्षकों के तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र संस्थाओं द्वारा नहीं दिया गया।
7. संस्थाओं द्वारा उनके पास प्रशिक्षण स्थल पर कम से कम 15 सौ वर्गफीट का स्थान होने का कोई साक्ष्य कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया।
8. संस्थाओं को प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता होने का कोई साक्ष्य कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया।
9. जो प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार के लिए इच्छुक है, उनके आवेदन को संस्था द्वारा बैंक में निकाय के माध्यम से भेजने का कोई साक्ष्य कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं था।
10. प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट्स उपलब्ध कराये जाने का कोई साक्ष्य कार्यालय में नहीं था।
11. संबंधित ट्रेडों में 6 माह का प्रशिक्षण दिलाया जाना था, परंतु मात्र चार माह नवंबर 2012 से फरवरी 2013 तक ही प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार पूर्ण प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जिससे प्रशिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। पुनः प्रशिक्षाणार्थियों को प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाण पत्र दिया जाना था, जिसे नहीं दिया गया।
12. कार्यालय द्वारा अनियमित रूप से संस्थाओं को प्रशिक्षण में उनके द्वारा बिना कोई विपत्र समर्पित किये हीं राशि 11.172 लाख रू का अनियमित भुगतान कर दिया गया।

कार्यालय का जवाबः–जॉचोंपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

जवाब संतोषप्रद नहीं है। उपरोक्त अनियमितताओं के कारण प्रशिक्षण का उद्देश्य असफल रहा तथा प्रशिक्षण पर किया गया व्यय रशि 11.17 लाख रू निष्फल रहा। पुनः बिना विपत्र के संस्थाओं को भुगतान किया जाना संदिग्ध था, इसकी जॉच कराई जाय। भुगतान की जॉच किये जाने तक व्यय राशि ₹ 1117200.00 रू को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कण्डिकाः–3 संचार टावरों का निबंधन नहीं एवं निबंधन व नवीनीकरण शुल्कों की वसूली नहीं किये जाने के कारण राजस्व की प्राप्ति नहीं, राशि 7.70 लाख रू

बिहार सरकार द्वारा संचार मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क ₹ 30000.00 प्रति टावर एव नवीकरण शुल्क 8000.00 प्रति टावर प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 5 के अनुसार कोई भी ऑपरेटर जिन्होंने पूर्व में टावर का अधिष्ठापण किया हो या करना चाहता हो, रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ नगरपालिका को आवेदन देगा।

नियम 6(2) के अनुसार नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों के लिए उपर वर्णित पंजीकरण शुल्क टावर के स्थापित करने के समय के पूर्ण वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है।

202

नियम 6(6) पंजीकरण शुल्क आवेदन की स्वीकृति के तुरन्त बाद देय हो जायेगा। अगर पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 6(7) वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप में देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तों 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 12(1) के अनुसार कोई संचालक इस नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह राशि 5000.00 तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

लेखा परीक्षा आपत्तियॉः–

1. नई अधिसूचना के प्रभावी होने पर भी संबंधित ऑपरेटरों द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया तथा न ही कार्यालय द्वारा इस संबंध में ऑपरेटरों को नोटिस दिया गया।
2. नगर पंचायत के मोबाईल टावर के संचिका व कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत 10 मोबाईल टावर अधिष्ठापित थे, जिनमें से केवल चार टावरों से ही नाममात्र की राशि जमा की गई। कुल मांग राशि 8.92 लाख रू के विरूद्ध राशि 7. 70 लाख रू बकाया था।
3. संबंधित कम्पनियों को कार्यालय द्वारा प्रेषित मांग में विलंब की अवधि के लिए ब्याज की राशि की मांग नहीं की गई।
4. नियमानुसार टावर पर लगाये गये प्रत्येक एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है। परंतु इस संबंध में कार्यालय में कोई प्रतिवेदन नहीं था कि एक टावर पर कितना एंटिना लगाया गया था। जिसकी जॉच अपेक्षित है व नियमानुसार मांग प्रेषित किया जाय।
5. शुल्क नहीं देने पर ऑपरेटर के संबंधित प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजत की गई या नहीं से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
6. बकाया की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई सहित कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

कार्यालय का जवाबः–कम्पनियों को सूचना निर्गत की गई हैं। पुनः आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

बकाया राशि एवं विलंब की अवधि के सूद की गणना कर नया मांग प्रेषित कर राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

कण्डिकाः–4 सी0एफ0एल0 लाईट क्रय में अनियमित भुगतान ₹ 747500

सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक–21.02.2014 के प्रस्ताव सं0 6(क) के निर्णय के आलोक में सड़क पर रोशनी एवं 13 वे वित के गैर ठोस अवशिष्ट मद से सी0एफ0एल0 लाईट की नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत करनी थी।

संचिका में संलग्न तुलनात्मक विवरणी तथा अन्य संलग्न दस्तावेज के अनुसार कुल चार प्रतिष्ठान (1). इलेक्ट्रीक कार्नर, मुजफरपुर (2). रवि इलेक्ट्रोनिक लहेरियासराय दरभंगा (3) रवि इन्टरप्राईजेज बड़ा चकिया पूर्वी चम्पारण तथा (4). अपना इलेक्ट्रीक हाउस चुड़ी बाजार मधुबनी द्वारा डाले गये निविदा में सशक्त स्थायी समिति के द्वारा अपना इलेक्ट्रीक के कोटेशन न्यूनतम तथा मापदण्ड के अनुरुप होने के

कारण योग्य पाया गया था। अतः अपना इलेक्ट्रीक चूड़ी बाजार मधुबनी को 225 सी0एफ0एल0 सेट प्रतिवेदित दर 3300 प्रति सी0एफ0एल0 सेट सहित की आपूर्ति किये जाने हेतु कार्यादेश दिया गया था।

नगर पंचायत, जयनगर के पत्रांक–576 दिनांक–26.07.2014 के आदेशानुसार श्री भोगेन्द्र कुमार यादव वार्ड इन्सपेक्टर नगर पंचायत, जयनगर तथा अशोक राम सक्शन फोगिग ऑपरेटर नगर पंचायत, जयनगर को बिजली विभाग द्वारा गाड़े गये पोलो तथा कुल खराब/चालु भैपर लाईट की संख्या स्थल निरीक्षण कर जॉच प्रतिवेदन समर्पित किये जाने का निर्देश किया गया था। उक्त के जॉच प्रतिवेदन का ऑकड़ा निम्नवतः था।

वार्ड सं0	बिजली विभाग द्वारा गाड़े गये पोल की सं0	खराब भैपर लाईट की सं0	चालू भैपर लाईट की सं0
01	72	13	02
02	44	17	05
03	33	17	05
04	20	15	06
05	26	20	02
06	41	20	05
07	14	05	06
08	18	12	02
09	23	13	04
10	40	20	03
11	18	13	02
12	31	22	04
13	10	10	
14	46	38	04
	436	235	50

संवेदक को भुगतान

चेक 0987630 दिनांक–08.10.2014 – 705375
चेक 0561627 दिनांक–21.05.2014 – 42125
अपना इलेक्ट्रीक अभिश्रव 523 दिनांक–29.09.2014
225 सी0एफ0एल0 की कीमत – 654196.50
13.5% वैट 88316.52
742513.02
लेस – 13.02
742500
टेन्डर के समय जमा राशि– 5000
747500

निविदा के शर्त के अनुसार लाईट पर देय गारंटी/ वारंटी का विवरण देना था।

225 सेट सहित सी0एफ0एल0 के अधिष्ठापन के पश्चात 29.09.2014 को सुर्यदेव सिंह अमीन द्वारा बताया गया कि सभी स्थलों पर सी0एफ0एल0 जल रहा है।

टिप्पणी:–

1. कुल 436 पोलो में मात्र 275 (225+ 50) पोलों पर ही भैपर लाईट लगा था। अन्य 161 (436–275) पोलो पर भैपर लाईट नहीं लगाया गया।
2. 29.09.2014 के बाद की तिथि की साप्ताहिक खराब/कार्यरत भैपर लाईट की जॉच प्रतिवेदन संचिका में संलग्न में नहीं थी।
3. संचिका में प्राधिकृत कम्पनी के सी0एफ0एल0 सेट का गारंटी/वारंटी कार्ड संलग्न नहीं था न ही स्पष्ट था कि कम्पनी द्वारा मरम्मती मुफ्त में कितनी अवधि तक नियम था या खराब होने की स्थिति में कितनी अवधि के अन्दर रिप्लेसमेंट किया जा सकता था।
4. 13.5% की वैट राशि रू. 88316.52 नगर पंचायत, जयनगर द्वारा कटौती नहीं की गई थी। सी–3 प्रपत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा नही जमा किये जाने के वावजूद राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को कर दिया गया ।
5. 235 खराब भैपर लाईट के मरम्मती हेतु नगर पंचायत द्वारा किये गये प्रयासों से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया जाय।

कार्यालय का जवाबः– राशि की कमी होने के कारण मात्र 225 सी एफ एल क्रय किया गया था एवं खराब सी एफ एल की मरम्मति कराकर तथा आवंटन प्राप्त होने पर सी एफ एल क्रय कर रोशनी की व्यवस्था की जायेगी।

उपर्युक्त आपत्तियों का निराकरण किये जाने तक व्यय राशि 747500.0 रू को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कण्डिकाः–5 तेरहवीं वित्त आयोग अनुदान राशि का अनियमित व्यय, राशि ₹ 31.29 लाख

13वीं मद से प्राप्त अनुदान का उपयोग मार्गदर्शिका के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाना थाः–

1. न्यूनतम 50 प्रतिशत आवंटन ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए
2. पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति व्यवस्था
3. स्ट्रीट लाइट और पेय जल के बिजली बिल के भुगतान
4. रैन बसेरा और वृद्धाश्रम के निर्माण

रोकड बही के जांच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अनुदान की राशि का व्यय निम्नलिखित मदों पर किया गया था जो तेरहवीं वित्त आयोग के मार्गदर्शिका के विरूद्ध था।

रोकड़ बही की तिथि	मद	राशि
31.07.13	भेपर लाईट की खरीद	674684
08.10.14	सी एफ एल क्रय	705375
09.09.14	ट्रेक्टर क्रय	497439
09.09.14	हाइड्रोलिक ट्रेलर का क्रय	137500
28.05.14	स्वयं सेवी संस्थान को सफाई कार्य भुगतान	79800
22.08.14	तथैव	39000
03.09.14	तथैव	39900
08.10.14	तथैव	39900
03.11.14	तथैव	39900
29.11.14	तथैव	39900
30.12.14	तथैव	39900
29.01.15	तथैव	39900
08.08.15	तथैव	138000
22.08.14	सफाई कर्मियों को मानदेय	151078
13.10.14	तथैव	162301
24.11.14	तथैव	81002
15.12.14	तथैव	82500
07.01.15	तथैव	81437
11.02.15	तथैव	59587
	कुल	3129103

लेखा परीक्षा आपत्तिः–

तेरहवीं वित आयोग के मार्गदर्शिका के विरूद्व राशि 31.29 लाख रू का व्यय किया जाना अनियमित था।

कार्यालय का जवाबः– आगे से मार्गदर्शिका के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

जवाब मान्य नहीं है। आयोग के मार्गदर्शिका का पूर्णतः उल्लंघन कर राशि का अनियमित व्यय किया गया एवं मार्गदर्शिका के अन्तर्गत वर्णित किसी भी कार्य का कार्यान्वयन नहीं कराया गया। उचित स्पष्टीकरण किये जाने तक व्यय राशि 3129103.00 रू को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कण्डिकाः–6 होल्डिंग टैक्स में विलंब शुल्क की वसूली नहीं करने के कारण राजस्व की हानि, राशि ₹ 4558

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–938 दिनांक–25.02.10 द्वारा होल्डिंग टैक्स की वसूली के संबंध में निम्न निर्देश दिया गया थाः–

1. होल्डिंग टैक्स चार किस्तों (तिमाही) के स्थान पर दो किस्तों (छमाही) में लिया जाना है।
2. किसी वित्तीय वर्ष में प्रथम छमाही 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक तथा द्वितीय छमाही 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक होगी।

3. प्रथम छमाही के देय कर का भुगतान आगामी 31 दिसंबर तक एवं द्वितीय छमाही के देय कर का भुगतान आगामी 30 जून तक करने पर चालू भुगतान मान जायेगा। जिस पर कोई छूट अनुमान्य नहीं होगा तथा कोई विलंब शुल्क भी देय नहीं होगा।
4. विलंब भुगतानः– प्रथम छमाही के देय कर का भुगतान आगामी 31 दिसंबर के पश्चात तथा द्वितीय छमाही के देय कर का भुगतान 30 जून के पश्चात करने पर विलंब भुगतान माना जायेगा, जिसपर 2 प्रतिशत मासिक विलंब शुल्क भी देय होगा।
5. एडवांस टैक्स (अग्रिम कर का भुगतान):– किसी वित्तीय वर्ष के लिए एडवांस टैक्स उसे ही माना जायेगा जब उक्त 30 जून तक उसका भुगतान कर दिया जायेगा। आने वाले वित्तीय वर्ष/वर्षों का कर जमा करने पर भी उसे अग्रिम भुगतान माना जायेगा। इसमें 15 प्रतिशत की छूट देय राशि पर स्वतः अनुमान्य होगी।

   परंतु रसीदों के नमूना जॉच में पाया गया कि विलंब की अवधि के लिए सूद की राशि नहीं ली गई, जिसके कारण नगर पंचायत को राशि 4558.00 रू के राजस्व की हानि हुई, जिसकी विवरण परिशिष्ट– VI पर संलग्न है।

कार्यालय का जवाबः–आगे से नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

अतः हुई हानि की राशि 4558.00 रू की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय तथा नियमानुसार गृह कर की राशि की वसूली की जाय।

कण्डिकाः–6

सैरातों की बन्दोबस्ती मुद्रांक पर नहीं करने के कारण राजस्व की हानि, राशि 11196.00 रू

राज्य सरकार के पत्र संख्या 1920/आर ई आई मुख्य सचिव दिनांक 14.8.2002 तथा सचिव सह आई0 जी0 निबंधन बिहार के पत्र संख्या 549 दिनांक 13.3.2005 के अनुसार सैरातों की बन्दोबस्ती में बन्दोबस्ती राशि पर 3 प्रतिशत के बराबर मुद्रांक पर बन्दोबस्तीधारी के साथ एकरारनामा किये जाने का प्रावधान है।

परंतु नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए नगर पंचायत के अधीन सैरातों की बन्दोबस्ती मुद्रांक शुल्क पर नहीं की गई, जिसके कारण राज्य सरकार को 11196.00 रू के राजस्व की हानि हुई। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 से सैरातों की बन्दोबस्ती मुद्रांक शुल्क पर किया जा रहा है। विवरण निम्न हैः–

क्रम संख्या	सैरात का नाम	बन्दोबस्ती की राशि	मुद्रांक शुल्क की राशि (तीन प्रतिशत के दर से)
1	सार्वजनिक शौचालय कमला रोड एवं जिला परिषद प्रांगण समीप	267700	8031
2	चिकखाना (मांसबाजार) मछली एवं मुर्गा	105500	3165
	कुल	373200	11196

कार्यालय का जवाबः– वित्तीय वर्ष 2015–16 से निबंधन शुल्क लिया जा रहा है।

अतः राजस्व की हानि हुई 11196.00 रू की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से कर राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

कण्डिकाः– 8 नक्शा स्वीकृति नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि

बिहार नगरपालिका अधिनियम, बिल्डिंग बाई लॉ (भ0नि0उ0) तथा सरकार द्वारा इस संबंध में निर्गत आदेशों के प्रावधानों के तहत शहरी क्षेत्रों के निर्माण का नियमन नगरपालिका की जिम्मेवारी है। बिहार नगरपालिका अधिनियम के तहत वास्तुकार अधिनियम 1972 के अधीन निबंधित किसी प्रमाणिक वास्तुकार द्वारा भवन की योजना स्वीकृत होने पर ही कोई व्यक्ति किसी निर्माण या किसी भवन निर्माण का प्रारंभ या स्थायी महत्व की कोई संरचना या विद्यमान भवन का कोई रूपान्तरण या बदलाव अतिरिक्त निर्माण सहित भवन निर्माण करेगा।

परन्तु यह कि कोई वास्तुकार राज्य सरकार/नगरपालिका द्वारा बनाई गई भवन उप–विधि से विषम कोई भवन योजना स्वीकृत नहीं करेगा।

परन्तु यह और कि कोई वास्तुकार, जो भवन उप–विधि से विचलन कर या उल्लंघन कर किसी भवन योजना को स्वीकृत हुए पाया जाय, यह अभियोजित किये जाने का उत्तरदायी होगा और पचास हजार रूपये या एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा या दोनों का भागी होगा।

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि में एक भी नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया। होल्डिंग की संख्या वर्ष 2013–14 में 2814 थी जो 2014–15 एवं 2015–16 में 2814 ही है। जिसके कारण नक्शा फी में राजस्व की हानि हुई तथा होल्डिंग की संख्या भी नहीं बढ़ी है पुनः नये भवन जिनकी प्राक्कलित राशि 10.00 लाख रू से ऊपर है, उससे 1 प्रतिशत के दर से श्रम सेस के रूप में भी राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

कार्यालय का जवाबः– आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ किया गया है।

अतः जवाब के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई की जाय एवं इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय को दी जाए।

कण्डिकाः–9 होर्डिंग राशि की वसूली नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित होर्डिगों से शुल्क लिया जाना है। नगर पंचायत, जयनगर सशक्त सथायी समिति की बैठक 06.11.2012 के प्रस्ताव सं0– 6(ड0) के निर्णय के अनुसार नगर पंचायत, जयनगर क्षेत्रान्तर्गत गैर–सरकारी बैनर, पोस्टर, हॉडिग बोर्ड, फ्लैक्स बोर्ड लगाने वाले से 4 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से राशि वसूली जायेगी। मोबाईल टावर तथा अन्य संचिकाओं के जॉच में पाया गया कि कई पंजीकृत कम्पनियॉ नगर पंचायत क्षेत्र में कार्यरत है तथा उनके द्वारा प्रचार– प्रसार भी किया जा रहा था। परंतु नगर पंचायत द्वारा होर्डिंग की राशि की वसूली नहीं की गई, जिससे नगर पंचायत को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

कार्यालय का जवाबः–आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अतः जवाब के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई की जाय एवं इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय को दी जाए।

कण्डिकाः– 10 होल्डिंग का पुनरीक्षण एवं सड़कों का पुर्नवर्गीकरण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127(13) के अनुसार नगरपालिका प्रत्येक पॉच वर्ष में होल्डिग के वार्षिक मूल्य का उर्ध्वगामी पुनरीक्षण एवं होल्डिग के सड़को का पुर्नवर्गीकरण करेगी। परंतु नगर निकाय द्वार वर्ष 1995–96 में होल्डिग का पुनरीक्षण किया गया था। 20 वर्ष बीतने के बावजूद नगर निकाय द्वारा होल्डिग के वार्षिक मूल्य का पुनरीक्षण एवं होल्डिग के सड़कों का पुनवर्गीकरण नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक– 261 दिनांक–20.07.15 द्वारा

अधिनियम के इस प्रावधान का पालन नगर निकायों के द्वारा नहीं किये जाने के कारण नगर निकायों को स्मारित किया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि जिन नगर निकायों द्वारा विगत पॉच वर्षों में वार्षिक किराया मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है तो वार्षिक किराया मूल्य में न्यूनतम 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाय।

उपरोक्त अधिनियम/निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के कारण नगर पंचायत को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है।

कार्यालय का जवाबः– आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अतः होल्डिंग व सड़कों का पुनरीक्षण यथाशीघ्र किया जाय, जिससे जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक और प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन कराया जा सके।

कण्डिकाः–11 <u>फॉगिंग मशीन का परिचालन नहीं</u>

फॉगिग मशीन तथा लेखापाल रोकड़ बही के जॉच में पाया गया कि फॉगिंग मशीन के परिचालन हेतु मानदेय राशि प्रतिमाह पर कर्मी की नियुक्ति की गई थी। फॉगिंग मशीन के लॉगबुक के जॉच में पाया गया कि 28.02.2015 तक ही फॉगिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। 01.03.2015 से 31.03.2016 की अवधि (एक वर्ष से अधिक) व्ययतीत होने के बाद भी फॉगिंग मशीन का प्रयोग नहीं किया था। जिससे मच्छर जनित रोग के रोकथाम का उद्देश्य निष्फल हो रहा है।

कार्यालय का जवाबः–उक्त अवधि वित्तीय अधिकार प्राप्त में वित्तीय अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी नहीं थे। फॉगिंग मशीन का प्रयोग किया जायेगा।

अतः फॉगिंग मशीन का उपयोग कराना सुनिश्चित किया जाय।

कण्डिकाः12– <u>बैठक में पारित पुनरीक्षित दुकान दर का कार्यान्वित नहीं</u>

नगर पंचायत, जयनगर की साधारण बैठक दिनांक– 09.11.2012 के प्रस्ताव सं0 6(ग) यह निर्णय लिया गया कि दुकान का किराया दो गुणा किया जाये जो दिनांक– 01.04.2012 से प्रभावी होगा तथा हरेक तीन साल पर किराया बढाया जाये। इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था। तत्पश्चात 01.04.2014 के बैठक के प्रस्ताव सं 07 में पारित किया गया था कि प्रत्येक दुकानदार द्वारा कम से कम 500 प्रतिमाह किराया लिया जायेगा। जिसका दुकान का क्षेत्रफल 100 वर्ग फीट या कम हो तथा अन्य दुकानदार जिसके दुकान का क्षेत्रफल 100 वर्ग फीट सें अधिक हो उससे 5 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से किराया वसूल किया जायेगा। किन्तु इस निर्णय को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लागू नही किया गया था।

कार्यालय का जवाबः– दर का पुनरीक्षण किया जायेगा।

अतः दर का पुनरीक्षण यथाशीघ्र किया जाय एवं इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय को दी जाए।

कण्डिकाः–13 भवनों पर गृह कर बकाया, राशि ₹ 28.08 लाख

नगर पंचायत द्वारा मांग व वसूली पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है। लेखा परीक्षा में कार्यालय द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित होल्डिंग्स पर दिनांक 31.03.16 को कुल 28.08 लाख रू बकाया था। विवरण निम्न हैः–

वर्ष	होल्डिग की संख्या	मंग			वसूली				बकाया		
		बकाया	वर्तमान	कुल	बकाया	वर्तमान	कुल	वसूली का प्रतिशत	बकाया	वर्तमान	कुल
2013–14	2814	2012088	1024783	3036871	884674	94702	979376	32.24	1127414	930081	205749
2014–15	2814	2057495	1024783	3082278	768672.40	224513.60	993186	32.22	1288822.60	800269.40	208909
2015–16	2814	2089092	1024783	3113875	305016	शून्य	305016	9.97	1784086	1024783	280886

लेखा परीक्षा टिप्पणियॉः–

1. वित्तीय वर्षों 2012–13, 2013–14 एवं 2015–16 में मांग के विरूद्ध वसूली का प्रतिशत क्रमशः 32, 32 व 10 प्रतिशत था, जो नगर पंचायत के अधिकारी/कर्मी व वसूली कर्मी की उदासीनता को दर्शाता है।
2. होल्डिंग की संख्या वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि में एक समान 2814 ही थी। इस अवधि में नगर पंचायत द्वारा नये नक्शा की स्वीकृति भी नहीं दी गई। उल्लेखनीय है कि इस अवधि में बहुत से नये मकान नगर पंचायत क्षेत्र में बने होंगे।

कार्यालय का जवाबः– बकाया राशि की वसूली हेतु कठोर कार्रवाई की जायेगी।

अतः वसूली का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रभावी व कठोर कदम उठाय जाय, जिससे कल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक व प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

कण्डिकाः– 14 नगर सरकार भवन का निर्माण नहीं एवं राशि का अवरोधित पड़ा रहना, राशि 1.97 करोड़ रू

कई नगरपालिकाओं के पास अपना प्रशासनिक भवन नहीं होने के कारण नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा नगर निकायों को राशि आवंटित की गई। नगर पंचायत जयनगर को वित्तीय वर्ष 2013–14 में "नगर सरकार भवन निर्माण" स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा कुल 1.97 करोड़ रू की राशि विमुक्त की गई। विवरण निम्न हैः–

पत्रांक/दिनांक	राशि (लाख रू में)
50/13.11.13	75.47
89/06.02.14	46.76
28/24.07.14	37.32604
53/15.09.14	37.32604
कुल	196.88208